



**वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
रावतभाटा रोड, कोटा(राज0)– 324021**

कमांक: व.म.खु.विवि./आर.एस.सी.आई.टी/2016/250

दिनांक:- 8/9/16

कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी आर.एस.सी.आई.टी. परीक्षाओं में होने वाले व्यय को निर्धारित करने के लिये निम्न नियमों को तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है:-

1. आर.एस.सी.आई.टी. परीक्षा में आवश्यकता पड़ने पर व.म.खु.विवि. के सेवानिवृत्त अधिकारीगण जैसे प्राध्यापक, उपकुलसचिव अथवा सहायक कुलसचिव को ही मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जावेगा तथा इनका टी0ए0/डी0ए0, इन्हें प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर देय होगा।
2. पर्यवेक्षक के रूप में केवल महाविद्यालय के शिक्षक/राजकीय विद्यालय के शिक्षक (राजपत्रित) / प्रशासन में अधिकारी पद के स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को ही नियुक्त किया जावे।
3. पर्यवेक्षक को रू0 1000/- की राशि के अतिरिक्त यदि स्थानीय यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाना हो, तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ता प्रारूप को पूर्ण रूप से भरवाकर एवं मुख्य पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित करने के बाद अधिकतम रू0 100/- (रुपये एक सौ मात्र) तक का भुगतान ही किया जावेगा।
4. विश्वविद्यालय द्वारा 150 से कम परीक्षार्थी होने पर सामान्यतः परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जावे, परन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर ही उक्त परीक्षा केन्द्र का निर्धारण किया जावे।
5. आर.एस.सी.आई.टी. परीक्षा हेतु ली जाने वाली अग्रिम राशि का समायोजन परीक्षा समाप्त होने की तिथि से 01 माह की अवधि में समायोजन कराना सुनिश्चित करे। तय समयसीमा में अग्रिम राशि का समायोजन न करने पर 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से वसूली की जावेगी।

सभी से अनुरोध है कि उक्त नियमों की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करे।

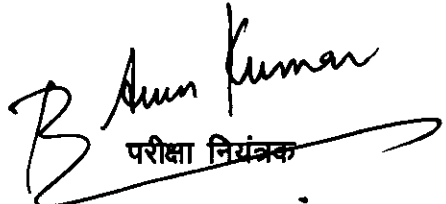
यह आदेश माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित है।

//

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रस्तुत है :-

1. सचिव, कुलपति सचिवालय, व.म.खु.विवि., कोटा।
2. कुलसचिव, व.म.खु.विवि., कोटा।
3. वित्त नियंत्रक, व.म.खु.विवि., कोटा।
4. प्रभारी, वेबसाइट, ई.एम.पी.सी. विभाग, कोटा।


परीक्षा नियंत्रक